अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), शिवगंज

बइजलास भागीरथ राम, आर0ए0एस0

वादी		प्रतिवादीगण
1.प्रभाराम पुत्र नवाजी जाति मेघवाल 2.त्रिलोक कुमार पुत्र नारायणजी 3.जगदीश कुमार पुत्र नारायणजी जातियान मेघवाल निवासीयान–पोसालिया तहसील शिवगंज वादी अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव	**बनाम**	1.हजाराम पुत्र वगताजी 2.कानाराम पुत्र वगताजी 3.डायालाल पुत्र वगताजी 4.रामु पुत्र वगताजी जातियान मेधवाल निवासीयान–पोसालिया तह0 शिवगंज 5.शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बेंक पोसालिया प्रतिवादी अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज (राजस्थान)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्यां– 02/2021

: निर्णय :

दिनांक 16.03.2022

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) शिवगंज के न्यायालय में पेश होने पर दिनांक 08.04.2021 को दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। उक्त प्रकरण कें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है–

वादीगण का निवेदन है कि मेरी खातेदारी कृषि भूमि मौजा पोसालिया पटवार क्षेत्र पोसालिया तहसील शिवगंज में खसरा नम्बर 535/1105 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा किस्म ब.1 राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। एवं वर्तमान आराजी राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में खसरा नं0 535/1298 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा किस्म जोड–1 है। वाद में वर्णित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता स्व0 वगता गोदी पुत्र भेरा के नाम से दर्ज थी। जिसे स्वर्गीय वगता पुत्र गोदी पुत्र भेरा ने अपने जीवनकाल में दिनांक 11.06.2006 को हकतर्कनामा के जरिये अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग किया था। एवं वादीगण द्वारा उक्त आराजी के एवज में मौजा पोसालिया में वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता वगता का एक अन्य खेत आराजी खसरा नं0 547 रकबा 8.10 बीघा संयुक्त रूप से थी। उसमे से वादीगण द्वारा भी उसी रोज दिनांक 11.06.2006 को हकतर्कनामा के जरिये हक प्रतिवादीगण के पक्ष में त्याग कर प्रतिवादीगण को कब्जा सुपुर्द करवा दिया था। प्रतिवादीगण के पिता द्वारा वादग्रस्त आराजी मे सें अपने हिस्से का त्याग कर वादीगण को कब्जा सुपुर्द कर दिया था। प्रतिवादीगण के पिता द्वारा वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से का त्याग कर वादीगण को कब्जा सुपुर्द कर दिया था। एवं उक्त आपसी समझौते अनुसार अपने हक हिस्से के अनुसार काबिज काश्त होकर खेती करते आ रहे है। एवं वर्तमान में भी वादीगण उक्त वादग्रस्त संपूर्ण आराजी पर काबिज काश्त होकर खेती करते आ रहे है। एवं वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। उक्त हकतर्कनामा पंजीबद्ध दस्तावेज है।

वाद में वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण के पिता स्व0 वगता पुत्र भेरा का हकतर्क के बाद वादीगण को धोखे में रखकर दुर्भावना वश उक्त आराजी पर ऋण प्राप्त कर लिया जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं रही। एवं वादीगण द्वारा तत्कालीन पटवारी को उक्त आराजी में अपना नाम इन्द्राज करने हेतु आवेदन कर दिया गया था। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा नामांतरकरण दायर नहीं किया गया एवं स्व0 भेरा की मृत्यु के बाद उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण का नाम इन्द्राज किया [illegible] वादग्रस्त आराजी में स्व0 भेरा का हिस्सा जरिये हकत्याग समझौते के [illegible]क 11.06.2006 की रूह से वादीगण को प्राप्त हुई हैं एवं वादीगण उक्त आराजी के [illegible] खातेदार है। एवं वादग्रस्त आराजी पर बतौर खातेदार काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रतिवादीगण के हक में उक्त आराजी का गलत नामांतरकरण होने से उक्त आराजी में कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते हैं तथा न हि उक्त आराजी के हस्तांतरण करने का कोई हक अधिकार है। वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम से गलत दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादीगण के हक अधिकारों को चुनौतियां दी जा रही है। तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी में अपने नाम का नाजायज फायदा उठाने की गरज से उक्त आराजी को बैचान करने की धमकियां दी जा रही है। जिससे वादीगण के पास इस वाद के जरिये अनुतोष प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.03 11:02:15 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादीगण का निवेदन है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित करना फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हुए। दिनाक 07.07.2021 को प्रतिवादीगण की ओर से वकील लक्ष्मीनारायण गेहलोत ने वकालतनामा पेश किया। प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प पोसालिया में दिनांक 14.10.2021 को प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के बयान लिये गये। दिनांक 10.03.2022 को प्रतिवादीगण सं0 5 ने अपना जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रस्तुत बहस पर मनन किया तो पाया कि वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मौजा पोसालिया पटवार क्षेत्र पोसालिया तहसील शिवगंज में वर्तमान खसरा नम्बर 535/1298 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा किस्म जोड–1 में प्रतिवादीगण के स्व0 पिता वगताराम गोदी पुत्र भेरा द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा दिनांक 11.12.2006 को वादीगण के पक्ष में रिलिज डीड पंजीकृत दस्तावेज से किया गया। जमाबंदी संवत् 2059–62 खाता सं0 34 के अनुसार नामांतरकरण सं0 2406 रहननामा 22.07.2006 जरिये रहन आदेश द्वारा तहसीलदार शिवगंज, वगताराम गोदी पुत्र भेरा के हिस्से की भूमि रहन एस.बी.आई. पोसालिया का नोट जमाबंदी में दर्ज था। अर्थात रिलीज डीड के समय उक्त वादग्रस्त भूमि रहनयुक्त थी।

अतः प्रस्तुत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवाादीगण स्वीकार जाकर उक्त विवादित आराजी पर से प्रतिवादीगण एक ता चार की मौजा पोसालिया के खसरा नं0 535/1298 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा किस्म जोड–1 की भूमि में जमाबंदी में दर्ज हिस्सा अनुसार संपूर्ण प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि को वादीगण सं0 1 ता 3 के पक्ष में खातेदार धोषित किया जाता है। एवं संबंधित बैंक के रहन का इन्द्राज वादीगण के साथ बदस्तूर रहेगा। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

(भागीरथ राम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.3.2022 को जारी किया जाता है।

सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

182
16/3/22

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.03 11:02:15 IST
Reason: SelfAttested